दिल्ली जल बोर्ड
राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली

दिल्ली जल बोर्ड की दिनांक 09 अक्टूबर 1999 को प्रातः 11.30 बजे, दिल्ली जल बोर्ड के सभाकक्ष, वरूणालय फेज-2, करोल बाग, नई दिल्ली-110 005 में हुई 25वीं बैठक का कार्यवृत्त।

उपस्थित

1.	श्रीमती शीला दीक्षित, मुख्यमंत्री, दिल्ली	अध्यक्ष
2.	श्री सुरेन्द्र कुमार, सदस्य, दिल्ली विधान सभा	उपाध्यक्ष
3.	श्री प्रदीप मेहरा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी	सदस्य
4.	श्री प्रहलाद सिंह साहनी, सदस्य, दिल्ली विधान सभा	सदस्य
5.	श्री ब्रह्म सिंह तंवर, सदस्य, दिल्ली विधान सभा	सदस्य
6.	श्रीमती रोशनी बंसल, सदस्य, दिल्ली नगर निगम	सदस्य
7.	श्री छन्नू मल, सदस्य, दिल्ली छावनी परिषद	सदस्य
8.	सुश्री जनक जुनेजा, सदस्य (प्रशासन)	सदस्य

कार्यवृत्त की पुष्टि

दिल्ली जल बोर्ड की दिनांक 24 सितम्बर,1999 को सम्पन्न हुई 24वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई । सदस्य (प्रशासन) ने स्पष्ट किया कि संकल्प संख्या 387, मद संख्या 392 में विधि सहायक के पद का वेतनमान रू0 5000-8000 के स्थान पर रू0 4500-7000 पढ़ा जाए । यह भी स्पष्ट किया गया कि संकल्प संख्या 408, मद संख्या 413 में मरम्मत और पुर्नस्थापना किए जाने वाले सीवर की लम्बाई 530 मीटर के स्थान पर 474 मीटर पढ़ी जाए ।

संकल्प संख्या 409

मद संख्या 414 दिल्ली जल बोर्ड में सहायक विधि अधिकारी के पद हेतु भर्ती नियम ।

निदेशक (प्रशा.एवं का.) के पत्र क्रमांक दि.ज.बोर्ड/प्रशा./99/117 दिनांक 29.9.99 में वर्णित सहायक विधि अधिकारी के पद पर नियुक्ति हेतु भर्ती नियमों के प्रस्ताव पर विचार किया तथा संकल्प लिया कि उसे स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

संकल्प संख्या 410

मद संख्या 415 ट्यूबवैल/पम्पिंग स्टेशनों के परिचालन तथा अनुरक्षण के लिए सहायक पम्प चालकों के 618 अस्थाई पदों को स्थायी पदों में परिवर्तित करना ।

निदेशक (प्रशा.एवं का.) के पत्र क्रमांक दि.ज.बोर्ड/प्रशा./99/118 दिनांक 29.9.99 में वर्णित ट्यूबवैल/बूस्टर पम्पिंग स्टेशनों के परिचालन एवं अनुरक्षण हेतु सहायक पम्प चालकों के 618 अस्थायी पदों को स्थायी करने के प्रस्ताव पर बोर्ड ने विचार किया तथा संकल्प लिया कि उसे स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

संकल्प संख्या 411

मद संख्या 416 दिल्ली जल बोर्ड में श्री महेन्द्र सिंह के अधिशासी अभियंता (वि.एवं या.) के पद पर तदर्थ पदोन्नति को जारी रखना ।

निदेशक (प्रशा.एवं का.) के पत्र क्रमांक दि.ज.बोर्ड/प्रशा./99/119 दिनांक 29.9.99 में वर्णित श्री महेन्द्र सिंह की अधिशासी अभियंता (वि.एवं या.) के पद पर तदर्थ पदोन्नति को दिनांक 1.1.99 से एक वर्ष की अवधि के लिए अथवा उनके विरूद्व जांच के पूरा होने एवं उनके मामले में तदानुसार विचार किए जाने तक अथवा अग्रिम आदेशों तक, जो भी पहले लागू हो को जारी रखने के प्रस्ताव पर बोर्ड ने विचार किया तथा संकल्प लिया कि प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

संकल्प संख्या 412

मद संख्या 417 दिनांक 2.8.99 को दिल्ली जल बोर्ड की "कैश वैन" पर डकैती के समय अदम्य साहस दिखाने के कारण बिना बारी के पदोन्नति करना ।

निदेशक (प्रशा.एवं का.) के पत्र क्रमांक दि.ज.बोर्ड/प्रशा./99/120 दिनांक 29.9.99 में वर्णित दिनांक 2.8.99 को दिल्ली जल बोर्ड के कैश वैन को लूटने से बचाने के लिए बोर्ड के जिन कर्मचारियों द्वारा अदम्य साहस दिखाया गया था उनकी क्षति पूर्ति के लिए बोर्ड द्वारा की गई कार्यवाही के विवरण पर बोर्ड ने विचार किया तथा संकल्प लिया कि उसे रिकार्ड में लिया जाता है । इस मामलें में तुरन्त एवं प्रशंसनीय कार्यवाई किए जाने के लिए बोर्ड के सदस्यों ने दिल्ली जल बोर्ड प्रबन्धन की प्रंशसा की ।

संकल्प संख्या 413

मद संख्या 418 उपयोग में न लाए जा रहे ओवर हैड टैंकों की स्थिति ।

मुख्य अभियंता (सी)प्रथम के पत्र क्रमांक दि.ज.बोर्ड/तक./99/297 दिनांक 29.9.99 में वर्णित ओवर हैड टैंकों की स्थिति की रिर्पोट पर बोर्ड ने विचार किया तथा संकल्प लिया कि उसे रिकार्ड में लिया जाता है । ओवर हैड टैंकों के उपयोग/तोड़नें के कार्य में अनावश्यक विलम्ब किये जाने के लिए बोर्ड के सदस्यों ने अपनी चिंता जताई । श्रीमती रोशनी बंसल तथा अन्य सदस्यों ने इच्छा प्रकट की कि इसमें आवश्यक कार्यवाही डेढ़ माह के अन्दर की जाए ।

संकल्प संख्या 414

मद संख्या 419 दिल्ली जल आपूर्ति और सीवेज के निकासी परियोजना के लिए परामर्शकों को आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराना ।

मुख्य अभियंता (सी)–111 के पत्र क्रमांक दि.ज.बोर्ड/तक./99/298 दिनांक 29.9.99 में वर्णित दिल्ली जल आपूर्ति एवं सीवेज के निकासी परियोजना के लिए परामर्शकों को आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराने के लिए रू0 58,68,075/– के अनुमान को प्रशासनिक स्वीकृति दिए जाने के प्रस्ताव पर बोर्ड ने विचार किया तथा संकल्प लिया कि उसे स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

संकल्प संख्या 415

मद संख्या 420 गोपनीय (अलग से परिपत्रित)

संकल्प संख्या 416

मद संख्या 421 दिल्ली जल बोर्ड (प्रक्रिया एवं कार्य संचालन) विनियम 1999 ।

निदेशक (प्रशा.एवं का.) के पत्र क्रमांक दि.ज.बोर्ड/प्रशा./99/121 दिनांक 5.10.99 में वर्णित दिल्ली जल बोर्ड (प्रक्रिया एवं कार्य संचालन) विनियम 1999 प्रस्ताव पर बोर्ड ने विचार किया तथा संकल्प लिया कि उसे स्वीकृति प्रदान की जाती है । बोर्ड ने अधिकृत किया कि विनियमों को दिल्ली राजपत्र में प्रकाशन हेतु राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के शहरी विकास विभाग को भेज दिया जाए । बोर्ड का मत था कि कोरम के लिए उपस्थिति में 6 सदस्यों की उपस्थिति होनी चाहिए, तथा बोर्ड की प्रत्येक माह कम से कम एक बैठक होनी चाहिए । बोर्ड ने इस सम्बन्ध में आवश्यक संशोधन करने के लिए प्राधिकृत किया ।

संकल्प संख्या 417

मद संख्या 422 दिल्ली जल बोर्ड में श्री के.सी.जैन की मुख्य अभियंता (वि.एवं या.) के पद पर तदर्थ नियुक्ति को जारी रखना ।

निदेशक (प्रशा.एवं का.) के पत्र क्रमांक दि.ज.बोर्ड/प्रशा./99/122 दिनांक 5.10.99 में वर्णित श्री के.सी.जैन की मुख्य अभियंता (वि.एवं या.)के पद पर रू0 18400–22400 के वेतनमान में तदर्थ पदोन्नति को दिनांक 1.10.99 से एक वर्ष के लिए अथवा इस पद पर संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से नियमित नियुक्ति किए जाने तक, जो भी पहले लागू हो, जारी रखनें के प्रस्ताव पर बोर्ड ने विचार किया तथा संकल्प लिया कि इसे स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

संकल्प संख्या 418

मद संख्या 423 दिल्ली जल बोर्ड में अनुबन्ध के आधार पर भारी मोटर वाहन चालकों की नियुक्ति को जारी रखना ।

निदेशक (प्रशा.एवं का.) के पत्र क्रमांक दि.ज.बोर्ड/प्रशा./99/123 दिनांक 5.10.99 में वर्णित रू0 3500 मासिक की एकमुश्त राशि पर अनुबन्ध आधार पर नियुक्त 450 वाहन चालकों को दिनांक 21.3.2000 तक अथवा नियमित वाहन चालकों की नियुक्ति किए जाने तक, जो भी पहले लागू हो, जारी रखने के प्रस्ताव पर बोर्ड ने विचार किया तथा संकल्प लिया कि इसे स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

संकल्प संख्या 419

मद संख्या 424 पप्पनकलां में सीवेज पम्पिंग स्टेशन सं. 1 के निर्माण हेतु दिल्ली विकास प्राधिकरण को हिस्से की राशि की अदायगी ।

मुख्य अभियंता (सी)–2 के पत्र क्रमांक दि.ज.बोर्ड/तक./99/304 दिनांक 5.10.99 में वर्णित दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा पप्पनकलां में सीवेज पम्पिंग स्टेशन नं0 1 के निर्माण के लिए दिल्ली जल बोर्ड के हिस्से की लागत राशि के रूप में तत्कालीन दिल्ली जल प्रदाय एवं मल व्ययन समिति द्वारा स्वीकृत रू0 1028 लाख के विरूद्व रू0 1788.36 लाख की संशोधित राशि, वास्तविक व्यय की शर्त पर, स्वीकृत किए जाने के प्रस्ताव पर बोर्ड ने विचार किया तथा संकल्प लिया कि उसे स्वीकृति प्रदान की जाती है । यह भी संकल्प लिया कि इस कार्य के अतिरिक्त व्यय का विवरण बोर्ड के सदस्यों को परिपत्रित किया जाए ।

संकल्प संख्या 420

मद संख्या 425 मालवीय नगर बूस्टर पम्पिंग स्टेशन में विद्युत एवं यांत्रिक उपकरणों की पूर्ति, विवरण, निर्माण, जांच एवं प्राधिकार देना ।

मुख्य अभियंता (वि.एवं या.) के पत्र क्रमांक दि.ज.बोर्ड/तक./99/305 दिनांक 5.10.99 में वर्णित मालवीय नगर बूस्टर पम्पिंग स्टेशन के लिए पम्प सैट तथा अन्य उपकरणों की आपूर्ति, सुपुर्दगी, स्थापना तथा चालू करने के कार्य की निबंधनों एवं शर्तों के अनुसार तथा बातचीत के आधार पर तय रू0 3,33,28,345/– की लागत पर मै0 माथेर एण्ड प्लेट (इण्डिया) लि0 को आवंटित करने के प्रस्ताव पर बोर्ड ने विचार किया तथा संकल्प लिया कि उसे स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

संकल्प संख्या 421

मद संख्या 426 श्रम कल्याण अधिकारी (जल) के पद पर श्री के.के.शर्मा की तदर्थ नियुक्ति को जारी रखना।

निदेशक (प्रशा.एवं का.) के पत्र क्रमांक दि.ज.बोर्ड/प्रशा./99/124 दिनांक 6.10.99 में वर्णित श्री के.के.शर्मा की श्रम कल्याण अधिकारी (जल) के पद पर रू0 8000–275–11500 के वेतन + अन्य भत्तों सहित तदर्थ नियुक्ति को दिनांक 8.9.99 से एक ओर वर्ष के लिए अथवा इस पद पर नियुक्ति के लिए भर्ती विनियमों को अधिसूचित किए जाने के पश्चात् इस पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति किए जाने तक, जो भी पहले लागू हो, जारी रखनें के प्रस्ताव पर बोर्ड ने विचार किया तथा संकल्प लिया कि प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

संकल्प संख्या 422

मद संख्या 427 दिल्ली जल बोर्ड में मुख्य अभियंता (सी) और मुख्य अभियंता (वि.एवं या.) के पद के लिए भर्ती नियमों में संशोधन ।

निदेशक (प्रशा.एवं का.) द्वारा पत्र क्रमांक दि.ज.बोर्ड/प्रशा./99/306 दिनांक 6.10.99 के अनुसार प्रस्तुत दिल्ली जल बोर्ड में मुख्य अभियंता (सिविल) एवं मुख्य अभियंता (वि.एवं या.) के पद हेतु भर्ती नियमों में संशोधन के प्रस्ताव पर बोर्ड ने विचार किया तथा संकल्प लिया कि उन्हें स्वीकृति प्रदान की जाती है । बोर्ड ने संशोधनों को दिल्ली राजपत्र में अधिसूचित करने हेतु राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार के शहरी विकास विभाग को बैठक के कार्यवृत्त की संपुष्टि की प्रत्याक्षा में भेजे जाने के लिए प्राधिकृत किया ।

संकल्प संख्या 423

मद संख्या 428 अधिक्षण अभियंता (निर्माण)मल–1 द्वारा माह जून–99 में किए गए कार्य/सप्लाई सूची 1.00 लाख से 25.00 लाख की लागत तक ।

मुख्य अभियंता (सी)–11 के पत्र क्रमांक दि.ज.बोर्ड/तक./99/300 दिनांक 29.9.99 में वर्णित अनुबंधों की सूची पर बोर्ड ने विचार किया तथा संकल्प लिया कि सूची को रिकार्ड में लिया जाता है ।

संकल्प संख्या 424

मद संख्या 429 अधिक्षण अभियंता (निर्माण)मल–11 द्वारा माह फरवरी–99 में किए गए कार्य/सप्लाई सूची 1.00 लाख से 25.00 लाख की लागत तक ।

मुख्य अभियंता (सी)–11 के पत्र क्रमांक दि.ज.बोर्ड/तक./99/301 दिनांक 29.9.99 में वर्णित अनुबंधों की सूची पर बोर्ड ने विचार किया तथा संकल्प लिया कि सूची को रिकार्ड में लिया जाता है ।

संकल्प संख्या 425

मद संख्या 430 अधिक्षण अभियंता (निर्माण)मल–11 द्वारा माह मार्च–99 में किए गए कार्य/सप्लाई सूची 1.00 लाख से 25.00 लाख की लागत तक ।

मुख्य अभियंता (सी)–11 के पत्र क्रमांक दि.ज.बोर्ड/तक./99/302 दिनांक 29.9.99 में वर्णित अनुबंधों की सूची पर बोर्ड ने विचार किया तथा संकल्प लिया कि सूची को रिकार्ड में लिया जाता है ।

संकल्प संख्या 426

मद संख्या 431 अधिक्षण अभियंता (निर्माण)मल–11 द्वारा माह अप्रैल–99 में किए गए कार्य/सप्लाई सूची 1.00 लाख से 25.00 लाख की लागत तक ।

मुख्य अभियंता (सी)–11 के पत्र क्रमांक दि.ज.बोर्ड/तक./99/303 दिनांक 29.9.99 में वर्णित अनुबंधों की सूची पर बोर्ड ने विचार किया तथा संकल्प लिया कि सूची को रिकार्ड में लिया जाता है ।

संकल्प संख्या 427

मद संख्या 432 अधिक्षण अभियंता (निर्माण)मल–1 द्वारा माह जनवरी–99 में किए गए कार्य/सप्लाई सूची 1.00 लाख से 25.00 लाख की लागत तक ।

मुख्य अभियंता (सी)–11 के पत्र क्रमांक दि.ज.बोर्ड/तक./99/299 दिनांक 29.9.99 में वर्णित अनुबंधों की सूची पर बोर्ड ने विचार किया तथा संकल्प लिया कि सूची को रिकार्ड में लिया जाता है ।

संकल्प संख्या 428

मद संख्या 433 दिल्ली में पेयजल रिसाव की रोकथाम तथा अज्ञप्त प्रवाह की जांच तथा अध्ययन ।
(बैठक में परिपत्रित)

मुख्य अभियंता (सी)1 के पत्र क्रमांक दि.ज.बोर्ड/तक./99/01 दिनांक 7.10.99 में वर्णित दिल्ली में पेयजल की बर्बादी की रोकथाम तथा अज्ञप्त प्रवाह की जांच तथा अध्ययन के प्रस्ताव पर बोर्ड ने विचार किया । बोर्ड ने संकल्प लिया कि दिल्ली में रिसावों की खोज, मरम्मत तथा पेयजल की बर्बादी में कमी करने के लिए रू0 197 लाख के अनुमान को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

संकल्प संख्या 429

मद संख्या 434 दिल्ली में पेयजल की पुरानी/जंगयुक्त/क्षतिग्रस्त पाइप लाइनों को बदलना तथा पुरानी जंगयुक्त लाइनों की सफाई । (बैठक में परिपत्रित)

मुख्य अभियंता (सी)–1 के पत्र क्रमांक दि.ज.बोर्ड/तक./99/02 दिनांक 7.10.99 में वर्णित दिल्ली में पुरानी/जंगयुक्त/क्षतिग्रस्त पाइप लाइनों को बदलनें तथा जंगयुक्त पाइप लाइनों की सफाई के प्रस्ताव पर बोर्ड ने विचार किया । बोर्ड ने संकल्प लिया कि इस कार्य के लिए रू0 99.50 करोड़ की योजना को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

संकल्प संख्या 430

मद संख्या 435 प्रीत विहार सीवेज पम्पिंग स्टेशन के सामने विकास मार्ग पर 1000 मि0 मी0 व्यास की धंसी हुई सीवर लाइन का पुनरूद्धार । (बैठक में परिपत्रित)

मुख्य अभियंता (सी)–4 के पत्र क्रमांक दि.ज.बोर्ड/तक./99/307 दिनांक 9.10.99 में वर्णित शाहदरा में प्रीत विहार सीवेज पम्पिंग स्टेशन के दूसरी ओर 1000 मि0 मी0 व्यास की बैठी हुई सीवर लाईन के पुर्नस्थापना के कार्य को श्री राजेन्द्र सिंह को दिल्ली दर अनुसूची 1993 से 46% अधिक की दर पर रू0 27,60,419.08 की कुल लागत पर आवंटित करने क़े प्रस्ताव पर बोर्ड ने विचार किया तथा संकल्प लिया कि इसे स्वीकृति प्रदान की जाती है । बोर्ड ने बैठक के कार्यवृत्त की संपुष्टि की प्रत्याक्षा में इस संबन्ध में आवश्यक कार्यवाही किए जाने के लिए भी प्राधिकृत किया ।

संकल्प संख्या 431

मद संख्या 436 शाहदरा में बाबरपुर, नत्थू नगर, ज्योति नगर आदि के लिए 900–1000 मि0 मी0 व्यास के परिधिय सीवर की व्यवस्था व बिछाना (भाग–1) । (बैठक में परिपत्रित)

मुख्य अभियंता (सी)–4 द्वारा पत्र क्रमांक दि.ज.बोर्ड/तक./99/308 दिनांक 9.10.99 में वर्णित शाहदरा में बाबरपुर, नत्थू नगर, ज्योति नगर आदि के लिए 900–1000 मि0 मी0 व्यास के परिधिय सीवर की व्यवस्था/बिछाने के कार्य के लिए निविदाओं को अन्तिम रूप देने में हुई देरी के कारणों के सम्बन्ध में रिपोर्ट पर बोर्ड ने विचार किया तथा संकल्प लिया कि उसे रिकार्ड में लिया जाता है ।

अध्यक्ष महोदया की अनुमति से चर्चा

चर्चा के दौरान सदस्यों ने चन्द्रावल संयंत्र के समीप रिसावों पर अपनी चिन्ता प्रकट की तथा इच्छा व्यक्त की कि रिसावों को इसी महीनें ठीक करवाया जाए तथा आवश्यकता पड़ने पर चन्द्रावल संयंत्र को रिसावों की मरम्मत किए जाने के लिए बन्द किया जाए । इसी प्रकार पाइप लाइनों की मरम्मत, निविदाओं को अन्तिम रूप देने तथा मीटरों को लगाने में होने वाले विलम्ब को भी रोकने की आवश्यकता पर भी बल दिया गया । कई सदस्यों का मत था कि कर्मचारी आवासों जिनमें से अधिकांश जीर्ण क्षीण स्थिति में हैं, के रखरखाव और अनुरक्षण के कार्य पर और ध्यान दिया जाना चाहिए । रखरखाव और अनुरक्षण के कार्यों की प्रगति देखने के लिए बोर्ड के सदस्य श्री प्रहलाद सिंह साहनी एवं श्रीमती रोशनी बंसल द्वारा मुख्य कार्यकारी अधिकारी के साथ बोर्ड की कुछ कालोनियों का अक्टूबर माह के अन्तिम सप्ताह में निरीक्षण किया जाएगा ।

अरविन्द रे

सचिव | अध्यक्ष

गोपनीय

संकल्प संख्या 415

मद संख्या 420 श्री महेन्द्र सिंह, अधिशासी अभियंता (वि.एवं या.), श्री जे.पी. गर्ग सहायक अभियंता (वि.एवं या.) तथा श्री आर.के.गुप्ता तत्कालीन कनिष्ठ अभियंता (वि.एवं या.) अब सहायक अभियंता (वि.एवं या.) के विरूद्व अनुशासनात्मक कारवाई ।

अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पत्र क्रमांक दि.ज.बोर्ड/प्रशा./99/116 दिनांक 20.9.99 में वर्णित सर्वश्री महेन्द्र सिंह अधिशासी अभियंता (वि.एवं या.), जे.पी. गर्ग सहायक अभियंता (वि.एवं या.) एवं आर.के. गुप्ता कनिष्ठ अभियंता (वि.एवं या.) जो वर्तमान में सहायक अभियंता (वि.एवं या.) के रूप में कार्यरत हैं, उनके विरूद्व अनुशासनात्मक कार्यवाही के संबन्ध में प्रतिवेदनों के प्रस्ताव पर बोर्ड ने विचार किया । बोर्ड ने अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी के इस प्रस्ताव तथा इसके संलग्नकों को गोपनीय दस्तावेज के रूप में वर्गीकृत करने और इनकी प्रतियां तब तक किसी को भी उपलब्ध न कराए जाने के आदेश दिए जाने, जब तक कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा इसके विरूद्व स्पष्ट आदेश न दिए जाए, पर भी विचार किया । प्रतिवेदनों पर विचार करने तथा रिकार्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर बोर्ड ने संकल्प लिया कि श्री महेन्द्र सिंह की पदोन्नति को एक वर्ष तक रोके रखने का साधारण दण्ड दिए जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है । बोर्ड ने यह भी निर्देश दिया कि सर्वश्री जे.पी.गर्ग और आर.के. गुप्ता को संचयी प्रभाव सहित दो वर्ष के लिए वेतनवृद्वि रोकने का साधारण दण्ड दिया जाए ।

अरविन्द दे

सचिव

अध्यक्ष